



2026:AHC:17193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45917 सन् 2025

रामा नन्द

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: रविन्द्र बहादुर सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याची ने वर्तमान रिट याचिका अन्य प्रार्थनाओं के साथ इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत वाद संख्या 6274 / 2024 (राम नन्द बनाम राधा कुमार एवं अन्य) जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट (तहसील सदर), न्यायिक शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद के समक्ष लम्बित है, को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
3. हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या 38375 / 2023 (मोहम्मद फैयाज खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 27.09.2023 को यह आदेश पारित किया कि जब तक परिस्थिति असाधारण न हो, न्यायालय को किसी न्यायालय को कोई लम्बित वाद समयबद्ध रीति से निर्णीत करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। दिनांक 27.09.2023 का आदेश नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

जब तक परिस्थिति असाधारण न हो, इस न्यायालय को किसी संवैधानिक न्यायालय को या किसी भी न्यायालय को कोई लम्बित वाद समयबद्ध रीति से निर्णीत करने का निर्देश नहीं देना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस न्यायालय तक पहुँचने में सक्षम हैं, उन्हें प्राथमिकता मिले और अन्य प्रतीक्षा में रहें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। विशेष अनुज्ञा याचिका तदनुसार विलम्ब के आधार पर तथा गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है।

याचिकाकर्ता के लिए यह स्वतन्त्र है कि वे वाद की शीघ्र सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय में जाएँ। लम्बित आवेदन भी निस्तारित हो जाते हैं।"

4. अभिलेख के परिशीलन से प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है, और न ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को समयबद्ध रीति से निर्णीत करने का निर्देश देने के सम्बन्ध में इस आशय का कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है, सिवाय इसके कि वाद वर्ष 2024 से लम्बित है।

5. इस दृष्टिकोण से, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

6. तथापि, अधीनस्थ न्यायालय से अपेक्षित है कि वह उक्त वाद को विधि के अनुसार किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

स्वाति